न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 27/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2016/00048)

कौशल्या देवी पुत्री स्व. खुमाणाराम पत्नी श्री धर्मचन्द जाति शर्मा निवासी वार्ड नं. 7 मोती चौक, सरदारशहर जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. गंगा देवी पुत्री स्व.खुमाणाराम धर्मपत्नी स्व. सीताराम जाति शर्मा निवासी पिलानी जिला झूझनु हॉल मलेर कोटला (पंजाब)
2. सीता उर्फ मुन्नी धर्मपत्नी स्व. रामचन्द जाति शर्मा निवासी वार्ड नं. 10 मौहल्ला बागवास राजगढ (चूरू)
3. ललिता पुत्री स्व. रामचन्द्र धर्मपत्नी श्री मनोज जाति शर्मा निवासी चिड़ावा जिला झूझनु।
4. कुंदन पुत्र स्व. माडुराम जाति प्रजापत निवासी गांव रडवा तहसील राजगढ जिला चूरू।
5. देवकरण पुत्र स्व. माडुराम जाति प्रजापत निवासी गांव रडवा तहसील राजगढ जिला चूरू।
6. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार राजगढ जिला चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः	1. श्री नरेन्द्र कुमार आचार्य –	अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थितः	2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली	– राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थितः	3. श्री ललित गौतम –	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 4, 5
अनुपस्थितः	4. श्री देवकिशन सेवदा –	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय **दिनांकः 29.03.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 18.04.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार राजगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण सं. 371 दिनांक 05.03.1976 एवं नामान्तकरण सं. 689 दिनांक 17.07.1982 के विरूद्व जिला कलक्टर चूरू मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने, तथा अपीलान्ट का स्व. खुमाणाराम की विधिक उतराधिकारी पुत्री होने से वादगत रकबा में 1/3 हिस्सा होने का अंकन करने का आदेश भी देने का निवेदन किया। जिस पर जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.04.2016 द्वारा अपीलान्ट की अपील को अधिक विलम्बता एवं दो

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेशो की एक अपील को देखते हुए अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 एवं 3 के निमित नोटिस जारी करने के बावजूद उपस्थित नही आये तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1, 4, 5 के अभिभाषक बहस के दौरान उपस्थित नही हुए।

4. अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट का पैतृक निवास स्थान राजगढ जिला चूरू है। अपीलान्ट शादी के पश्चात अपने पति व बच्चो सहित सरदारशहर में निवास करती है तथा आवश्यकतानुसार अपने पीहर राजगढ आती जाती रहती है। अपीलान्ट के पिता स्व. खुमाणाराम की कृषि भूमि कस्बा राजगढ की रोही मे जिसका पुराना खसरा नं. 594 में तादादी 19.05 बीधा व खसरा नं. 588 मे तादादी 41.03 बीधा स्थित है। जो अपीलान्ट की पैतृक संपति है। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास सन् 1972 में हो गया था। हिन्दु विधि एवं उतराधिकार अधिनियम के तहत हिन्दु पैतृक संपति में पुत्र–पुत्रियो का बराबर हिस्सा निर्धारित रहा है। वादगत खेत खं. नं. 594, 588 कुल तादादी 41.03 जो कि सेटलमेट के पश्चात जो खं. नं. 868 तादादी 13 बीधा मे दर्ज होकर वर्तमान खं. 2287/1809 तादादी 1.6400 है. व खं. 2288/1809 तादादी 1.6400 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है। खं. नं. 868 का पक्का रकबा 13 बीधा स्व.खुमाणाराम की खातेदारी दर्ज रही है, उनकी मृत्यु के बाद उनके दोनो पुत्र बुधमल व रामचन्द के नाम इंतकाल सं. 371 दिनांक 05.03.1976 दर्ज हुआ परन्तु अंकन मे हल्का पटवारी ने जानबूझकर स्व. खुमाणाराम की दोनो पुत्रियो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 का नाम जानबूझकर दर्ज नही किया। उक्त राजस्व अंकन के आधार पर रामचन्द्र द्वारा उक्त भूमि को अपने को अकेला वारिस बताकार रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 को विक्रय कर दिया तथा विक्रय पत्र पर कब्जे का सत्यापन किये बिना हल्का पटवारी द्वारा गैर कानूनी तरीके से इंतकाल सं. 689 दिनांक

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

17.07.1982 को रेस्पोडेन्ट 4 व 5 के नाम खातेदारी दर्ज कर दिया। रामचन्द्र के देहान्त के बाद उसके उतराधिकारी रेस्पोडेन्ट सं. 2 सीता पत्नी व रेस्पोडेन्ट सं. 3 ललिता पुत्री है। अपीलान्ट के पति सीताराम का दिनांक 19.01.2013 को देहान्त होने पर गमी पर पिलानी गई। अपीलान्ट अनपढ स्त्री है, केवल अपने हस्ताक्षर करना जानती है। जब उसे पहली बार उक्त कृषि भूमि बाबत समस्त तथ्यो की जानकारी हुई तो उसने अपने पुत्र के माध्यम से समस्त अभिलेखो की नकले प्राप्त की एवं अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 5 का प्रस्तुत कर अपील के विलंब का कारण वर्णित किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए अपील खारिज कर दी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 18.04.2016 के विरूद्व पेश की गई है जिसमें जिला कलक्टर चूरू ने नामान्तकरण सं. 371 दिनांक 05.03.1976 एवं नामान्तकरण सं. 689 दिनांक 17.07.1982 के विरूद्व दिनांक 15.07.2013 को दो आदेशो की एक ही अपील प्रस्तुत करने और अत्यधिक विलम्ब से मियाद बाहर होने के आधार पर अपील खारिज की है। उक्त निर्णय के विरूद्व अदालतवाला में दिनांक 12.07.2016 को अपील प्रस्तुत की गई है जो कि मियाद के बिन्दु पर बहस सुरक्षित रखते हुए दर्ज की गई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील को अन्दर मियाद मानते हुए पेश किया गया है जबकि द्वितीय अपील हेतु नियत समय सीमा 60 दिवस से बाहर अपील प्रस्तुत की गई है तथा दफा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र विलम्ब से छूट हेतु प्रस्तुत ही नही किया

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गया है। अतः अपीलान्ट की यह द्वितीय अपील मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर